बिहार सरकार
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

7/बेदखली (विविध) 21/14

पत्रांक– पटना–15, दिनांक–............/09/2014

प्रेषक,

व्यास जी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

विषय :– **सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल कर दिए गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु 'ऑपरेशन भूमि दखल' प्रारंभ करने के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि प्रायः राज्य के सभी जिलों में सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अन्तर्गत प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को आवंटित कर उन्हें उक्त भूमि का पर्चा जिला स्तर से दिया गया है। समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इस प्रकार आवंटित भूमि बहुत से मामलों में पर्चाधारियों के कब्जे में नहीं है तथा उन्हें बेदखल कर दबंगों द्वारा उस भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि बेदखली के ऐसे मामलों में पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने के लिए राजस्व एवं पुलिस प्रशासन को सार्थक पहल करनी है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि पहल तभी होती हैं जब इस संबंध में कहीं से शिकायतें प्राप्त होती हैं। बेदखली के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि बेदखल हुए पर्चाधारी प्रायः थक–हार कर बैठ जाते हैं तथा वे शिकायतें भी नहीं करते या कई वार उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती।

2. समीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ है कि बहुत से मामलों में सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच विवादित जमीनों को आवंटित कर दिया गया है अथवा जिन जमीनों के आवंटन का पर्चा उन्हें दिया गया है उन जमीनों की नापी कर उस पर भौतिक कब्जा उन्हें नहीं दिया गया है। फलतः हाथ में पर्चा मिलने के बाबजूद वास्तविक अर्थ में वे आवंटित जमीन से बेदखल हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि कई मामलों में जमीन के आवंटन के बाबजूद आवंटियों के नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है। फलतः जमीन पर विवाद होने की दशा में पर्चाधारी सार्थक कानूनी पहल नहीं कर पाते।

3. अवगत हैं कि जिन परिवारों/व्यक्तियों को अधिशेष/भूदान/सरकारी भूमि का पर्चा दिया जाता है, वे समाज के कमजोर तबकों से आते हैं एवं प्रायः महादलित/दलित/पिछड़े वर्गों से आते हैं। अतएव राज्य सरकार एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले संबंधित

पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि पर्चाधारी का आबंटित जमीनों पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा रहे एवं वे सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करें।

4. अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मामलों में जहाँ विभिन्न अधिनियमों/निदेशों के अनुसार सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को जमीन का पर्चा दिया गया है एवं वे उक्त जमीन से बेदखल हो गए हैं, उसके संबंध में 'ऑपरेशन भूमि दखल' के नाम से समयबद्ध अभियान चलाया जाए तथा बेदखली के मामलों की गहन छान–बीन करते हुए बेदखल हुए पर्चाधारियों को आवश्यकतानुसार पुलिस प्रशासन की मद्द से दखल दिलवाया जाए। ''ऑपरेशन भूमि दखल'' के अन्तर्गत निम्न कार्रवाईयॉ अविलम्ब प्रारंभ की जानी हैं:–

(i) सर्वप्रथम अंचल स्तर पर सभी पर्चाधारियों की सूची सम्पूर्ण विवरणी के साथ तैयार की जाएगी जिन्हें दिनांक 31.08.2014 तक भूमि का आवंटन किया गया है।

(ii) चूंकि सभी अंचलों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, अतएव इस सूची को जिले के बेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी संबंधित को इसकी जानकारी हो जाए। सभी जिलों में सूची संधारण में एकरूपता लाने की दृष्टिकोण से विभाग द्वारा अनु0–1 पर दिया गया प्रपत्र उपयोग में लाया जाएगा।

(iii) उक्त सूची के आलोक में पंचायत–वार विशेष कैम्पों का आयोजन कर प्रत्येक पर्चाधारी के आवंटित भूमि पर दखल होने या न होने का पता लगाने हेतु अभियान चलाया जाएगा। सरकार का निर्णय है कि हर–हाल में यह अभियान दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जाए। जिन मामलों में बेदखली पायी जाएगी उससे संबंधित सूची अंचलवार अनु0 2 पर रखे प्रपत्र में संधारित कर उसे जिले के बेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(iv) विशेष कैम्पों के दौरान बेदखली के ऐसे मामले पाए जा सकते हैं जिनमें मापी करा देने अथवा आपसी सहमति से पर्चा धारियों को दखल मिल सकता है। ऐसे मामलों में बेदखल हो गये आवंटियों को आवंटित भूमि पर दखल दिलवाया जाएगा। परन्तु यदि भूमि विवादित हो तो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

(v) उपरोक्तानुसार बेदखली के सभी मामलों में पर्चाधारियों को आबंटित जमीनों का दखल दिलवाने का अभियान राज्य भर में जनवरी, 2015 से मार्च 2015 तक चलाया जाएगा। इस अभियान में आवश्यक होने पर पुलिस प्रशासन की मदद से दखल दिलवाया जाएगा। जिन मामलों में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत विवाद के निपटारे हेतु विवाद दायर किया गया होगा उन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर वाद का निष्पादन कर हर हाल में मार्च, 2015 तक दखल दिलवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी जिले में किसी कारण

बस मार्च 2015 तक अभियान पूरा नहीं हो पाए तो कारण प्रतिवेदित करते हुए विभाग को सूचित किया जाएगा ताकि उस जिले में अभियान अवधि बढ़ाई जा सके।

(vi) दखल दिलाने के सभी मामलों की सूची जिले के बेबसाइट पर अनु0—3 पर अंकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके।

(vii) जिन जिलों में जिला पदाधिकारियों/प्रमंडलीय आयुक्तों की पहल से पूर्व में बेदखली के मामलों का सर्वेक्षण कराया गया हो अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हों, तो ऐसे सभी मामलों में "ऑपरेशन भूमि दखल" के अन्तर्गत दखल दिलवाने की कार्रवाई हर हाल में मार्च,2015 तक पूरी कर ली जाएगी।

(viii) "ऑपरेशन भूमि दखल" के अन्तर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनु0—4 पर रखे प्रपत्र में हर महीने की 10वीं तारिख तक विभाग में उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा अपर समाहर्त्ताओं की बैठक में मासिक प्रतिवेदनों की गहन समीक्षा की जायेगी।

5. उपरोक्त अभियान समयबद्ध अभियान है जिसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता हर स्तर पर होगी। अतएव अनुमंडल/जिला एवं प्रमंडलीय स्तर पर अभियान का अनुश्रण क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यालय से भी पदाधिकारियों को जिले का प्रभार आबंटित किया जाएगा जो अंचलों/जिलों में जाकर अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रगति से सरकार को अवगत करायेंगे।

6 इस अभियान में आवश्यकतानुसार पुलिस प्रशासन की मदद ली जायेगी। अतएव आवश्यक होगा कि अनुश्रवण बैठकों में यथानुसार पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक भाग लें साथ ही जहाँ कहीं आवश्यक हो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अविलंब की जाए। बेहतर यह होगा कि स्थायी आदेश से ऑपरेशन भूमि दखल हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाए जो अल्प सूचना पर संबंधित अंचलाधिकारियों को उपलब्ध हो जाए।

7. कृपया ऑपरेशन भूमि दखल को समयबद्ध ढंग से पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अबिलंब प्रारंभ कर दी जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/—
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— दिनांक—...../08/2014

प्रतिलिपि :— सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

D:\Principal Secretary\letter 11.11.13.doc

ज्ञापांक– दिनांक–...../08/2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि "ऑपरेशन भूमि दखल" में पुलिस प्रशासन के सहयोग हेतु आवश्यक निदेश अपने स्तर से निर्गत करने की कृपा की जाए।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 590 दिनांक–08../09/2014

Email

प्रतिलिपि :– सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे जिलों के भ्रमण के समय "ऑपरेशन भूमि दखल" के प्रगति की समीक्षा करने की कृपा करें। साथ ही जब वे अपने प्रभार के जिलों में क्षेत्रिय भ्रमण करें तो गाँवों में भी जा कर मामलों को देखने की कृपा करेंगे।

0/8/9
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

प्रपत्र–1

जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	पर्चाधारी का नाम	बंदोवस्त भूमि की प्रकृति	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहदी				भूमि आवंटन की तिथि	दाखिल खारिज / लगान निर्धारण की स्थिति	अभियुक्ति
								उ0	द0	पू0	पं0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				गैरमजरूआ मालिक गैरमजरूआ आम अधिशेष भूमि BPPHT क्रय नीति से भूदान									

प्रपत्र–2															
जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	पर्चाधारी का नाम	बंदोवस्त भूमि की प्रकृति	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहदी				भूमि आवंटन की तिथि	दखल / बेदखल	कब से बेदखल है तिथि	बेदखल करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता
								उ0	द0	पू0	प0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				गैरमजरूआ मालिक											
				गैरमजरूआ आम											
				अधिशेष भूमि											
				BPPHT											
				क्रय नीति से											
				भूदान											

प्रपत्र–2									
बेदखली का कारण	सीमांकन के कारण		न्यायिक स्थगन की स्थिति					अन्य कारण	अभियुक्ति
	सीमांकन कहॉ लम्वित है	कब से लम्वित है तिथि	प्रकृति (कॉलम 5 के अनुसार)	न्यायालय का नाम	वाद सं0 एवं वर्ष	स्थगन की स्थिति	वाद की अद्यतन स्थिति		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सीमांकन के कारण									
न्यायिक स्थगन के कारण									
अन्य कारण									

प्रपत्र–3															
जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	पर्चाधारी का नाम	बंदोवस्त भूमि की प्रकृति	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	चौहदी				भूमि आवंटन की तिथि	भौतिक रूप से दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई की तिथि	दाखिल खारिज / लगान निर्धारन की तिथि (जिन मामलों में जमाबंदी नहीं खुली है)	अभियुक्ति
								उ0	द0	पू0	प0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				गैरमजरूआ मालिक गैरमजरूआ आम अधिशेष भूमि BPPHT क्रय नीति से भूदान											

प्रपत्र–4													
जिला का नाम	अंचल का नाम	कुल पर्चाधारियों की सं0						प्रपत्र–1 में दर्ज की गयी स्थिति					
		भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–4																	
प्रपत्र–2 में सर्वेक्षण की स्थिति (बेदखली के मामले)																	
गत माह तक पाये गये बेदखली की स्थिति						प्रतिवेदित माह में पाये गये बेदखली की स्थिति						कुल पाये गये बेदखली की स्थिति					
भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

प्रपत्र–4																							
दाखिल खारिज और लगान निर्धारण के कुल			दखल दिलाने की स्थिति																			दखल नहीं दिलाय जाने का कारण	अभियुक्ति
			गत माह तक दखल दिलाने की स्थिति							प्रतिवेदित माह में दखल दिलाने की स्थिति						कुल दखल दिलाने की स्थिति							
सर्वेक्षित	अनुपालित	लम्वित	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से	भूदान	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	अधिशेष भूमि	BPPHT	क्रय नीति से		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55